महत्वपूर्ण
संख्या:-921/26-4-2026/1841707

प्रेषक,
संजय कुमार तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-4 **लखनऊ : 29-07-2026**

विषय: नीतिगत एवं सेवा संबंधी विषयों पर समितियों के गठन तथा प्रकरणों के संदर्भीकरण हेतु दिशा-निर्देश के संबंध में।

महोदय,

कृपया निदेशालय स्तर से शासन को प्रेषित किये जाने वाले प्रस्तावों के परीक्षणोंपरान्त यह तथ्य संज्ञान में आया है कि समय-समय पर निदेशालय स्तर से ऐसे विभिन्न प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाते रहे हैं, जिनके संबंध में शासन स्तर से कोई अपेक्षा, निर्देश अथवा अभिमत नहीं मांगा गया होता है। नीतिगत विषय पर बिना शासन/सक्षम प्राधिकारी की अपेक्षा के कोई बिंदु सुझाव के रूप में तभी प्रस्तुत होना चाहिए जबकि विद्यमान निदेशों के क्रियान्वन में कोई कठिनाई हो अन्यथा ऐसे प्रकरण जिसमें संस्तुति अथवा सन्दर्भ के यदि किसी प्रस्ताव में नीतिगत अथवा वित्तीय उपाशय निहित हो, तो उससे संबंधित पत्राचार केवल शासन अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित किये जाने पर ही किया जाये।

2- यह तथ्य भी संज्ञान में आया है कि कतिपय प्रकरणों में निदेशालय के सन्दर्भ/प्रस्तुत संस्तुतियों के आधार पर विभिन्न पक्षकारों द्वारा माननीय न्यायालय में वाद योजित किये गये अथवा किये जा रहे हैं तथा यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि संबंधित विषय शासन स्तर पर विचाराधीन अथवा लंबित है। परिणामस्वरूप शासन की अनावश्यक जवाबदेही निर्धारित होने, प्रशासनिक जटिलताएं उत्पन्न होने तथा शासन एवं निदेशालय के मध्य उत्तरदायित्वों के संबंध में अनिश्चितता अथवा भ्रम की स्थिति की संभावना बनी रहती है।

3- यह सुनिश्चित किये जाने हेतु कि निस्तारणीय विषयों का निस्तारण सक्षम स्तर पर ही किया जाये, अनावश्यक रूप से प्रकरणों का उच्च स्तर पर संदर्भीकरण न हो, प्रकरणों के लंबित होने के संबंध में कोई अस्पष्टता उत्पन्न न हो, माननीय न्यायालयों में तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट रूप से प्रस्तुत की जा सके तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्व एवं कार्यकुशलता स्थापित किये जाने के उद्देश्य से निम्नलिखित दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से निर्गत किये जाते हैं:-

(i) निदेशालय से कोई भी नई नीति विषयक प्रस्ताव शासन को यथा संभव तभी प्रेषित किया जायेगा, जब उसके संबंध में शासन स्तर या किसी सक्षम प्राधिकारी से सूचना, स्पष्टीकरण, अभिमत अथवा प्रस्ताव अपेक्षित किया गया हो अथवा विषय की प्रकृति ऐसी हो, जिसमें शासन के निर्णय, अनुमोदन अथवा नीतिगत मार्गदर्शन की आवश्यकता हो।

(ii) जिन विषयों का निस्तारण निदेशालय स्तर पर उपलब्ध शक्तियों, प्रचलित नियमों, शासनादेशों अथवा विभागीय व्यवस्थाओं के अंतर्गत किया जा सकता है, उन्हें शासन को अनावश्यक रूप से संदर्भित नहीं किया

जायगा तथा उनका निस्तारण नियमानुसार निदशालय स्तर पर हा सुनाश्चत किया जायगा।

(iii) किसी विषय में यदि शासन स्तर का मार्गदर्शन आवश्यक प्रतीत हो, तो प्रस्ताव प्रेषित करने से पूर्व संबंधित अधिकारी से दूरभाष, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से विचार-विमर्श करने का प्रयास किया जायेगा तथा आवश्यकता स्थापित होने पर ही प्रकरण शासन को संदर्भित किया जायेगा।

(iv) शासन को प्रेषित प्रत्येक प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से यह अंकित किया जायेगा कि प्रस्ताव किस नियम, शासनादेश, न्यायालयीय आदेश अथवा शासन के किस पत्र अथवा निर्देश के अनुपालन में भेजा जा रहा है तथा शासन से अपेक्षित निर्णय, अनुमोदन अथवा निर्देश क्या है।

(v) शासन के निर्देश के बिना किसी अपरिहार्य परिस्थिति में यदि कोई प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाता है, तो उसके औचित्य, आवश्यकता तथा प्रकरण के निदेशालय स्तर पर निस्तारित न किये जा सकने के कारणों का स्पष्ट एवं युक्तिसंगत उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।

(vi) यदि किसी सक्षम प्राधिकारी के निदेश अथवा आवश्यकता के कारण शासन स्तर पर व्यवहरित होने वाले स्थापना संबंधी अथवा शासनाधीन अन्य महत्वपूर्ण विषयों जिनमें नीतिगत अथवा वित्तीय उपाशय निहित है, के विषय में कोई प्रस्ताव/ड्राफ्ट तैयार करने की आवश्यकता होती है तो ऐसी स्थिति में प्रकरण को पूर्व में ही शासन के संज्ञान में लाकर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी, जिससे प्रकरण पर शासन स्तर पर समुचित जानकारी रहे और यथा आवश्यकता उक्त विषयगत सन्दर्भ पर तत्परता से कार्यवाही सुनिश्चित हो सके।

(vii) निदेशालय स्तर पर गठित किसी समिति अथवा कार्यदल द्वारा तैयार की गयी संस्तुतियां जो कि शासन के विषयाधीन अधिकार सम्बन्धी हैं, उनके विषय में जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त को स्वीकार अथवा अनुमोदित न कर दिया जाये तब तक उन्हें शासन की नीति, निर्णय अथवा अभिमत नहीं माना जाना चाहिए और ऐसी संस्तुति /पत्र /सन्दर्भ तैयार करने में यथासंभव उक्त के अंत में निम्न प्रकार का अस्वीकरण (Disclaimer) अंकित किया जाना चाहिए:-

"*.... प्रस्ताव/सन्दर्भ/पत्र में वर्णित बिंदु महज ड्राफ्ट हैं जो शासन/सक्षम प्राधिकारी के निर्णय पर निर्भर है और उक्त में उल्लिखित किसी संस्तुति का कोई प्रभाव अथवा उक्त के आधार पर किसी प्रकार कि कोई अधिकार/दावा नहीं किया जा सकेगा।*"

(viii) शासन के निर्देशों के विपरीत अथवा बिना पर्याप्त औचित्य के प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने अथवा उपर्युक्त व्यवस्था का उल्लंघन किये जाने की स्थिति को गंभीरता से लिया जायेगा तथा संबंधित अधिकारी/कार्मिक का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

4- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/कार्यालयों को भी तत्काल अवगत कराते हुए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

Digitally signed by
SANJAY KUMAR TIWARI
Date: 29-07-2026
16:42:26

भवदीय,

(संजय कुमार तिवारी)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्व.प्र.), समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।

(2) निदेशक, छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, भागीदारी भवन, गोमती नगर लखनऊ।

(3) निदेशक, अनुसूचित जाति एवं जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ।

(4) निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

(5) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम लि./यू0पी0सिडको, उ0प्र0 लखनऊ।

(6) सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग, इन्दिरा भवन, उ0प्र0 लखनऊ।

(7) राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।

(8) अनु सचिव/उप सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।

(9) समाज कल्याण अनुभाग-1/2/3/समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ।

आज्ञा से,

(संजय कुमार तिवारी)
उप सचिव।